



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 अगस्त, 2002

भाद्रपद 09, 1924 शंकर सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1576/सत्रह-वि-1-1(क)-11-2002

लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में ‘सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, संक्षिप्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा प्रारम्भ

(2) धारा 2, धारा 3, के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वितीय परन्तुक को छोड़कर धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5 और धारा 6, 15 सितम्बर 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
4 सन् 1994 की
धारा 2 का
संशोधन

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

(क) धारा-2 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:-

‘(ख) ‘नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों’ का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है’;

(ख) खण्ड (ख-1), (ख-2), (ख-3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का
संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:-

“(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:-

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में - इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में - दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में - सत्ताइस प्रतिशत परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पाचस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पाचस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध के उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे

रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चात् वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

- (3) जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपधारा (2) के अधीन तीन विशेष भर्ती करने के पश्चात् भी बिना भरी रह जाय तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है।”

(ख) (एक) उपधारा (3-क).(-3ख) निकाल दी जायगी,

(दो) उपधारा (4) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी,

अर्थात्:-

“(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायेगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।”

अनुसूची-एक का
प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्-’

“अनुसूची-एक”

[धारा 2 (ख) देखिये]

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय | 7. गोसाई |
| 2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार | 8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी, |
| 3. जाट | राजपूत |
| 4. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, | 9. कम्बोज |
| कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैधवार | 10. अरख, अर्कवंशीय |
| 5. गिरी | 11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य |
| 6. गूजर | 12. कहार, कश्यप |
| | 13. केवट, मल्लाह, निषाद |

14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कुजड़ा या राईन
19. गड़रिया, पाल, बघेल
20. गद्दी, घोसी
21. चिकवा, कस्ताब, कुरेशी, चक
22. छीपी, छीपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28. दर्जी, इदरीसी, काकुत्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू कसोधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर
45. लोहार, लोहार-सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का-भिशती, भिशती-अब्बासी
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54. कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानबाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवरी (पिराई) पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा/कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतरांश, हंसीरी
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाड़ा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलदार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
78. मिरासी
79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)"

अनुसूची-दो का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची-दो, में-

(क) अनुच्छेद एक में शब्द "या रहा हो" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेगे;

(ख) अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के उपखण्ड (ड.) में हिन्दी पाठ में आये हुए शब्द "अस्थाई" के स्थान पर शब्द "स्थाई" रख दिया जायगा;

अनुसूची-तीन का
संशोधन निरसन
और अपवाद

6- मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन निकाल दी जायेगी।

7- (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 2
सन् 2002 तथा
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
7 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

एन वी० शुक्ला,

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश असाधारण, 31 अगस्त, 2002

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया है। लोक सेवाओं और पदों में जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधित्व को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को दो श्रेणियों में और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में अग्रतर वर्गीकृत करने, और उन्हें लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने और निम्नलिखित की भी व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) द्वारा उक्त अधिनियम को संशोधित किया गया था—

- (क) किसी भर्ती के वर्ष में उस वर्ष की रिक्तियों या संवर्ग के पचास प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान करना;
- (ख) किसी आरक्षित श्रेणी की बिना भरी हुई रिक्तियों को भरने के लिए अधिकतम तीन विशेष भर्ती के प्रतिबन्ध को समाप्त करना;
- (ग) किसी आरक्षित वर्ग की बिना भरी रिक्तियों को पृथक वर्ग की रिक्त के रूप में तब तक अग्रणीत करना जब तक वे भर न जाय;
- (घ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित बिन्दुओं को इंगित करते हुए संवर्ग की सदस्य-संख्या पर रोस्टर जारी करना।

2-सन् 2001 के उपर्युक्त अधिनियम को अखिल भारतवर्ष छात्र युवा बेरोजगार फ्रन्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गयी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी, 2002 के अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान सन् 2011 के उपर्युक्त अधिनियम के अनुसरण में कोई कार्यकारी आदेश पारित नहीं किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश को देखते हुए लोक सेवाओं और पदों में

रिक्तियों को भरने के लिए भर्तियाँ नहीं की जा सकी और विभिन्न विभागों में भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए थे। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि सन् 1994 के उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को, जैसा वे उक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2002 द्वारा संशोधन के पूर्व विद्यमान थे, पुनःस्थापित किया जाय।

3- चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 जून 2002 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

4- चूंकि ऊपर प्रथम पैरा में निर्दिष्ट (क) से (घ) के उपबन्धों को आर० के० सबरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को सम्मिलित करने के लिए और संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अन्तःस्थापित संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4-ख) के उपबन्धों के प्रकाश में बनाया गया था, जिन्हें उपर्युक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2000 द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया था, अतएव यह विनिश्चय किया गया था कि 1994 के उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जाय।

5- चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऊपर पैरा 4 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 जून 2002 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।